रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 546] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 7, 2018/श्रावण 16, 1940
No. 546] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 7, 2018/SHRAVANA 16, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 748(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के भीतर उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (परिवहन), ईमेल: js-tpt@gov.in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ... .. संशोधन) नियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि को लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (इसके बाद उक्त नियम के रूप में उल्लिखित) में नियम 115-घ के लिए निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"115-घ मोटर वाहनों में हाइब्रिड इलैक्ट्रिक प्रणाली या इलैक्ट्रिक किट का रिट्रो-फिटमेंट:-

(1) मोटर वाहनों में हाइब्रिड इलैक्ट्रिक प्रणाली का रिट्रो-फिटमेंट अथवा विशुद्ध इलैक्ट्रिक प्रणाली किट के साथ विशुद्ध इलैक्ट्रिक प्रचालन के लिए मोटर यानों को निम्नलिखित तालिका में यथावर्णित अनुप्रयोज्य मानकों में दिए गए प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुरूप परिवर्तित किया जाएगा।

क्र. सं.	**रिट्रो-फिटमेंट या परिवर्तन का प्रकार और मोटर यान की श्रेणी**	**अनुपालन मानक**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	एम एवं एन श्रेणियों के मोटर यानों जिनका सकल यान भार 3500 किग्रा से अधिक न हो, में हाइब्रिड इलैक्ट्रिक प्रणाली किट का रिट्रो-फिटमेंट	*एआइएस-123 (भाग 1) में विनिर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा
2.	एम एवं एन श्रेणियों के मोटर यानों जिनका सकल यान भार 3500 किग्रा से अधिक हो, में हाइब्रिड इलैक्ट्रिक प्रणाली किट का रिट्रो-फिटमेंट	*एआइएस-123 (भाग 2) में विनिर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा
3.	एल, एम, एन1 एवं एन2 श्रेणियों के मोटर यानों के ईंजन के स्थान पर विशुद्ध इलैक्ट्रिक प्रणाली किट लगाकर विशुद्ध इलैक्ट्रिक प्रचालन के लिए मोटर यानों का परिवर्तन	*एआइएस-123 (भाग 3) में विनिर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा
नोट:- * एआइएस-123 भाग 1 या 2 या 3 यथा अनुप्रयोज्य, समय-समय पर यथा संशोधित उस समय तक अनुप्रयोज्य होंगे जब तक तदनुरूपी भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशनों को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत अधिसूचित किया जाए।		

और बशर्ते कि हाइब्रिड इलैक्ट्रिक प्रणाली किट या विशुद्ध इलैक्ट्रिक प्रणाली किट के विनिर्माता अथवा आपूर्तिकर्ता द्वारा उपर्युक्त सारणी में उल्लिखित अनुप्रयोज्य मानक के अनुसार नियम 126 में विनिर्दिष्ट किसी परीक्षण एजेंसी से टाईप अनुमोदन प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा।"

[सं. आरटी-11028/04/2018-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांकित 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. ....(अ), दिनांकित .... द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2018

G.S.R 748(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of 30 days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport),email : js-tpt@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (…………Amendment) Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, (hereafter referred as the said rules), for rule 115-D, the following rule shall be substituted, namely: -

"115-D. Retro-fitment of Hybrid Electric System or Electric Kit to Motor Vehicles.-

(1) Retro-fitment of Hybrid Electric System Kit to motor vehicles or conversion of motor vehicles for pure electric operation with fitment of Pure Electric System Kit shall conform to the requirements of provisions given in applicable standards as described in the table given below.

Sr. No.	**Type of Retro-fitment or Conversion and Motor Vehicle Categories**	**Compliance standard**
1	Retro-fitment of Hybrid Electric System Kit to vehicles having Gross Vehicle Weight not exceeding 3500 kg of M & N categories of motor vehicles.	Shall conform to the requirements stipulated in *AIS-123 (Part 1)
2	Retro-fitment of Hybrid Electric System Kit to vehicles having Gross Vehicle Weight exceeding 3500 kg of M & N categories of motor vehicles	Shall conform to the requirements stipulated in *AIS-123 (Part 2)
3	Conversion of motor vehicles for pure electric operation with fitment of Pure Electric System Kit by replacing the engine of Motor Vehicles of categories L, M, N1 and N2	Shall conform to the requirements stipulated in *AIS-123 (Part 3)
Note.- * AIS-123 Part 1 or 2 or 3 as applicable, shall be applicable as amended from time to time till such time as corresponding Bureau of Indian Standard specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).		

Provided further that Manufacturer or supplier of Hybrid Electric System Kit or Pure Electric System Kit shall obtain the type approval certificate from a test agency specified in rule 126 as per the applicable standard referred in the above mentioned table.

[No. RT-11028/04/2018-MVL]

ABHAY DAMLE, J. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i),*vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number ……….. date. **………………..**

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.08.10 15:36:13 +05'30'